

प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 22.05.2025

बालक का व्यपहरण कर फिरौती मांगने के आरोप में 01 नफर अभियुक्ता व 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, फिरौती की रकम 01 लाख रुपया, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल, 02 अदद मोबाइल बरामद व व्यपहत सकुशल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक वेदप्रकाश शर्मा थाना चौरी चौरा मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 270/2025 धारा 140(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्ता 1. नेहा साहनी, व अभियुक्त 02. पीयूष सिंह को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से व्यपहत बालक को सकुशल बरामद कर परिजनों की सुपुर्द किया गया। घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल, 02 अदद मोबाइल व फिरौती की रकम 01 लाख रुपया भी बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.05.2025 को वादी मुकदमा अपने परिवार सहित अपने लड़के की मनौती हेतु थाना चौरी चौरा क्षेत्रान्तर्गत स्थित तरकुलहा देवी मन्दिर में दर्शन हेतु आये हुए थे कि समय करीब 15.00 बजे वादी का लड़का कहीं गायब हो गया। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी लड़का नहीं मिला, तभी एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने मो0नं0 से वादी को फोन कर के बोला गया कि तुम्हारे लड़के का अपहरण कर लिया गया है, अगर अपने लड़के को जिन्दा देखना चाहते हो तो आज शाम 6.00 बजे तक दो लाख पचास हजार (2.5 लाख) रुपये मेरे पास पहुँचा दो। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी और उनसे प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि पैसे की लालच में नेहा साहनी, पीयूष सिंह (व्यपहत का मौसेरा भाई) व अभिषेक सिंह द्वारा योजना बनाकर बालक का व्यपहरण किया गया था। व्यपहरण के बाद योजना के अनुसार बालक का मौसेरा भाई परिजनों और पुलिस की गतिविधियों के बारे में अपने साथियों को वाट्सअप के जरिये सूचना देता रहा और बालक के घर वालों को भरोसे में लेकर उनसे फिरौती देने के लिए एक लाख रुपये लेकर अपने साथियों (अभियुक्तों) को देने हेतु चला गया।

व्यपहत बालक की बरामदगी हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना चौरी चौरा पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर टीमों का गठन कर सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज, पूछताछ व अन्य माध्यमों से पता लगाकर व्यपहत बालक को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. नेहा साहनी पुत्री घनश्याम साहनी निवासिनी मोहरा थाना मदनपुर जनपद देवरिया
2. पीयूष सिंह पुत्र उमेश निवासी विशुनपुरकलां थाना बरियारपुर जनपद देवरिया

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

अभिषेक सिंह पुत्र उदय प्रताप सिंह निवासी समोगर थाना मदनपुर जनपद देवरिया

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 270/2025 धारा 140(2) बीएनएस थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल, 02 अदद मोबाइल व फिरौती की रकम 01 लाख रुपया

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्र0नि0 वेद प्रकाश शर्मा थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. व0उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 सौरभ झा थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
4. उ0नि0 आशीष मिश्रा थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
5. उ0नि0 रजनीश मिश्रा थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
6. उ0नि0 अनीश कुमार सिंह थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
7. उ0नि0 शिव कुमार यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
8. उ0नि0 संजय यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
9. का0 अफजल खां थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
10. का0 विकास सिंह थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
11. का0 ओमप्रकाश थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
12. म0का0 साजिया खातून थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
13. म0का0 वैशाली शर्मा थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर